प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 22.05.2025

- **जनपद कानपुर देहात पुलिस अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **इसी क्रम में थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए लाठी-डण्डों से हमला कर घायल कर देने जिससे इलाज के दौरान पीड़ित की मृत्यु हो जाने के मामले में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना मंगलपुर पर पंजीकृत 112/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/115(2)/110/105/117(2) बीएनएस में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री हरिश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मंगलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 112/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/115(2)/110/105/117(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त ओम नारायण पुत्र स्व0 करन सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बलरामपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 22.05.2025 को नहरपुल झींझक कंचौसी रोड मोड़ से कस्बा झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुकदमा वादिनी द्वारा थाना मंगलपुर पर दिये गये प्रार्थना पत्र में तहरीर किया कि वादिनी मुकदमा व उसके पुत्रों के साथ दिनांक 14.03.2025 को समय करीब 19.30 बजे उनके गांव के ही 1. आकाश पुत्र ओम नरायन 2. राहुल पुत्र रामबाबू 3. नीतेश पुत्र शिव प्रकाश 4. सत्यम पुत्र जितेन्द्र सिंह 5. सुनील पुत्र चंदन सिंह, 6. सतेन्द्र पुत्र कृष्ण मुरारी, 7. रामशंकर पुत्र जयनारायन समस्त निवासीगण ग्राम बलरामपुर कंचौसी थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात एवं 5 से 6 लोग अज्ञात ने मारपीट की। जिससे मजरूबगण के गम्भीर चोटें आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 112/2025 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा मजरूब बलराम उर्फ बली पुत्र स्व0 श्रीकृष्ण निवासी ग्राम बलरामपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की दौराने इलाज दिनांक 17.03.2025 को मृत्यु हो जाने व प्राप्त अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में नियमानुसार धारा 105/117(2)/190 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी थी तथा अभियुक्त ओमनारायण उपरोक्त की संलिप्तता दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में पाये जाने पर नाम प्रकाश में लाया गया था। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. ओम नारायण पुत्र स्व0 करन सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम बलरामपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 112/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/352/115(2)/110/105/117(2) बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 16/2024 धारा 323/504 भादवि0 थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री रजनीश कुमार

2. हे0कां0 195 कुलदीप सिंह